

कीर्ति भूषण सिंह

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

16 जुलाई, 1986

[ई. एस. वेंकटरमैया और वी. बालकृष्ण इराडी, न्यायाधिपतिगण]

अमान्य पेंशन-विभागीय जांच के लंबित रहने के दौरान किसी कर्मचारी को अवैध पेंशन पर सेवानिवृत्त होने की दी गई अनुमति को लगभग दो वर्ष बाद वापस लेना और उसे बर्खास्त करना - आदेशों की वैधता - बिहार सेवा संहिता, नियम 73 (एफ) और बिहार पेंशन नियम, नियम 116; की प्रयोज्यता.

अपीलकर्ता बिहार राज्य के उत्पाद शुल्क विभाग में क्लर्क था। उनके खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही में, जांच अधिकारी ने पाया कि उनके खिलाफ लगाए गए सत्रह आरोपों में से छह स्थापित हो गए थे और उन्होंने 9.11.1960 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उत्पाद शुल्क आयुक्त ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ता को दिनांक 8.9.1961 को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि उसे सेवा से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए। अपीलकर्ता ने उक्त नोटिस का उत्तर 1.11.1961 को प्रस्तुत किया। जांच अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, क्षेत्र के सिविल सर्जन ने इस आशय का एक प्रमाण पत्र जारी किया कि अपीलकर्ता विकलांग था और वह अपने स्वास्थ्य की स्थिति में अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं कर सका। 31.1.1962 को उत्पाद आयुक्त द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसमें अपीलकर्ता को 19.7.1961 से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 116 के तहत अमान्य पेंशन पर सेवानिवृत्ति का निर्देश दिया गया। 5.10.1963 को बिहार सरकार ने बिहार सेवा संहिता के नियम 73(1) के तहत सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करने का आदेश पारित किया और

उसके बाद उत्पाद शुल्क आयुक्त ने 1.11.1963 को अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया। अपीलकर्ता ने सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करने के उक्त आदेश और बाद में पारित बर्खास्तगी के आदेश को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी लेकिन अपील करने के लिए उपयुक्तता का प्रमाण पत्र दे दिया।

अपील को स्वीकार करते हुये, न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित किया : 1.1 ऐसे प्रावधान के अभाव में जो राज्य सरकार को चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करने का अधिकार दे देता है, जो प्रभावी और अंतिम हो गया था, राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करने का दिनांक 5.10.1963 का आदेश कानून के अधिकार के बिना है। इसके बाद पारित बर्खास्तगी का आदेश भी अमान्य है। [234 ई-एफ]

1.2. बिहार सेवा संहिता के नियम 73(1) में पाई गई अभिव्यक्ति "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" एक सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति को संदर्भित करती है। अपीलकर्ता का मामला सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्ति का नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को उसके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच के समापन के उद्देश्य से सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा में बने रहने के लिए कहने का कोई आदेश भी पारित नहीं किया गया था। दूसरी ओर, अपीलकर्ता को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले ही चिकित्सा आधार पर अमान्य पेंशन पर सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई थी। बिहार सेवा संहिता का नियम 73(एफ) अपीलकर्ता के मामले में स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है। इसके अलावा, जिस समय चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया गया, उस समय उत्पाद शुल्क आयुक्त के पास सिविल सर्जन का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी था। उस स्तर पर उत्पाद शुल्क आयुक्त के लिए दो पाठ्यक्रम खुले थे। अगर उन्हें लगता

कि आरोप स्थापित हो गए हैं तो वे या तो अपीलकर्ता को बर्खास्त कर सकते थे या फिर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 116 के तहत अमान्य पेंशन पर उनकी सेवानिवृत्ति का आदेश दे सकते थे। हालाँकि, उत्पाद शुल्क आयुक्त ने 31 जनवरी, 1962 को अपीलकर्ता को 19 जुलाई, 1961 से सेवानिवृत्त करने का आदेश देते हुए एक आदेश पारित किया। इस प्रकार अपीलकर्ता एक सरकारी कर्मचारी नहीं रहा। उसके बाद पारित कोई भी बर्खास्तगी आदेश तब तक टिकाऊ नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार को कानून के तहत सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करने और बर्खास्तगी के आदेश पारित होने से पहले उसे सरकारी कर्मचारी के रूप में उसकी पूर्व स्थिति में बहाल करने की अनुमति न हो। [234 बी-ई; 233 एफ-जी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 683/1971

सिविल रिट क्षेत्राधिकार प्रकरण संख्या 444/1967 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 3.4.1969 से।

बी.पी. सिंह, अपीलार्थी की ओर से ।

डी. गोबरदाहन, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय वेंकटरमैया, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया। 3 अप्रैल, 1969 को सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 444 /1967 में दिए गए पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ प्रमाण पत्र द्वारा यह अपील दायर की गई है।

अपीलकर्ता हजारीबाग में बिहार राज्य के उत्पाद शुल्क विभाग में क्लर्क के रूप में कार्यरत था। उनके खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही में उनके खिलाफ 17 आरोप तय किए गए। पूछताछ के दौरान उन्हें निलंबित रखा गया था। हालाँकि, जांच अधिकारी ने उनमें से केवल छह को स्थापित पाया और तदनुसार 9 नवंबर, 1960 को उनके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 8 सितंबर, 1961 को अपीलकर्ता को उत्पाद शुल्क

आयुक्त, जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी था, ने कारण बताने के लिए कहा था कि उसे सेवा से क्यों हटाया नहीं जाना चाहिए। अपीलकर्ता ने प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताते हुए 1 नवंबर, 1961 को उक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया। जांच अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद क्षेत्र के सिविल सर्जन ने इस आशय का एक प्रमाण पत्र जारी किया कि अपीलकर्ता विकलांग था और वह स्वास्थ्य की स्थिति में अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं कर सका। 31 जनवरी, 1962 को उत्पाद आयुक्त द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसमें अपीलकर्ता को 19 जुलाई, 1961 से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 116 के तहत अमान्य पेंशन पर सेवानिवृत्ति का निर्देश दिया गया। इस प्रकार वह सरकारी कर्मचारी नहीं रहा। 5 अक्टूबर, 1963 को अपीलकर्ता की सेवानिवृत्ति की तारीख के लगभग एक वर्ष और नौ महीने बाद, बिहार सरकार ने सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द कर दिया और इसके संचार का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"मैं इस विभाग के ज्ञापन संख्या 869 दिनांक 31-1-62 का संदर्भ आमंत्रित करना चाहता हूं जिसके साथ उत्पाद शुल्क आयुक्त के आदेश से आपको अवगत कराया गया था जिसमें उत्पाद शुल्क क्लर्क, श्री कीर्ति भूषण सिंह (निलंबन के तहत) को अमान्य पेंशन पर 19-7-61 से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 116 के तहत सेवानिवृत्त करने की अनुमति दी गई थी।

"बिहार सेवा संहिता के नियम 73 (एफ) के आलोक में सरकार द्वारा उक्त आदेश की दोबारा जांच की गई है, और यह पाया गया है कि चूंकि उत्पाद लिपिक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही लंबित थी, इसलिए उन्हें अमान्य पेंशन पर सेवानिवृत्त करने की अनुमति देना अनियमित था। इसलिए, सरकार ने अपने ज्ञापन संख्या 869 दिनांक 31-1-62 में निहित उत्पाद शुल्क आयुक्त के आदेश को रद्द करने का निर्णय लिया है। परिणामस्वरूप, उत्पाद शुल्क क्लर्क को निलंबन के तहत जारी

रखा जाना चाहिए और वह जीवन निर्वाह भत्ते का हकदार होगा, जैसा कि नियमों में अनुमत है, जब तक कि कार्यवाही में कोई आदेश पारित नहीं होता, जो कि उसके विरुद्ध उक्त आरोप जारी करने के समय लंबित थी।

इसके बाद उत्पाद शुल्क आयुक्त ने 1 नवंबर, 1963 को एक आदेश पारित कर अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में बर्खास्तगी के आदेश पर सवाल उठाया, जिससे यह अपील उत्पन्न हुई।

उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि 31 जनवरी, 1962 के आदेश द्वारा 19 जुलाई, 1961 से सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य सरकार को 5 अक्टूबर 1963 के अपने आदेश द्वारा सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करने की अनुमति नहीं है और उसके बाद 1 नवंबर, 1963 को उत्पाद शुल्क आयुक्त को सेवा से बर्खास्तगी का आदेश पारित करने के लिए कहा गया। राज्य सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि यह बिहार सेवा संहिता के नियम 73 (एफ) के तहत राज्य सरकार के लिए खुला था। अपीलकर्ता को अवैध पेंशन पर सेवानिवृत्त करने के आबकारी आयुक्त के आदेश को रद्द करने के लिए और इसलिए बाद में पारित बर्खास्तगी का आदेश एक वैध आदेश था। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत तर्क को स्वीकार करते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया।

इस अपील में अपीलकर्ता ने हाई कोर्ट के फैसले की सत्यता पर सवाल उठाया है। इस मामले में तथ्य विवादित नहीं हैं। 31 जनवरी, 1962 तक अपीलकर्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका था। उत्पाद आयुक्त के पास सिविल सर्जन का मेडिकल सर्टिफिकेट भी पहले था। उस स्तर पर उत्पाद शुल्क आयुक्त के लिए दो पाठ्यक्रम खुले थे। अगर उन्हें लगता कि आरोप स्थापित हो गए हैं तो वे या तो अपीलकर्ता को बर्खास्त कर सकते थे या फिर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 116 के तहत अमान्य पेंशन पर उनकी सेवानिवृत्ति का आदेश दे सकते थे। हालाँकि, उत्पाद

शुल्क आयुक्त ने 31 जनवरी, 1962 को अपीलकर्ता को 19 जुलाई, 1961 से सेवानिवृत्त करने का आदेश देते हुए एक आदेश पारित किया। इस प्रकार अपीलकर्ता एक सरकारी कर्मचारी नहीं रहा। उसके बाद पारित बर्खास्तगी का कोई भी आदेश तब तक टिकाऊ नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार को कानून के तहत सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करने और बर्खास्तगी का आदेश पारित होने से पहले उसे सरकारी कर्मचारी के रूप में उसकी पूर्व स्थिति में बहाल करने की अनुमति न हो। बिहार सेवा संहिता का नियम 73(एफ) जिस पर राज्य सरकार भरोसा करती है, इस प्रकार है:

"पूर्वगामी खंडों में किसी बात के बावजूद, एक सरकारी कर्मचारी किसी दुराचरण के आरोप में निलंबित है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख तक पहुंचने पर सेवानिवृत्त होने की आवश्यकता नहीं होगी या अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन आरोप की जांच पूरी होने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर अंतिम आदेश पारित होने तक सेवा में बनाए रखा जाएगा।

बिहार सेवा संहिता के नियम 73 (एफ) में दी गई अभिव्यक्ति 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' एक सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति को संदर्भित करती है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अपीलकर्ता को इस आधार पर सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई थी कि उसने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को उसके खिलाफ स्थापित विभागीय जांच के समापन के उद्देश्य से सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा में बने रहने के लिए कहने का कोई आदेश भी पारित नहीं किया गया था। दूसरी ओर अपीलकर्ता को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले ही चिकित्सा आधार पर अमान्य पेंशन पर सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई थी। बिहार सेवा संहिता का नियम 73(एफ) अपीलकर्ता के मामले में स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है। कोई अन्य प्रावधान जो राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी को अमान्य पेंशन पर सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करने में सक्षम

बनाता है, हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है। इस प्रकार चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति का आदेश प्रभावी और अंतिम हो गया है, इसलिए सक्षम प्राधिकारी के पास अनुशासनात्मक कार्यवाही आगे बढ़ाने और सजा का आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। हमारा विचार है कि ऐसे प्रावधान के अभाव में, जो राज्य सरकार को चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करने का अधिकार देता है, जो प्रभावी और अंतिम हो गया है, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर, 1963 को पारित आदेश को रद्द कर दिया गया। सेवानिवृत्ति के आदेश को कानून के अधिकार के बिना पारित किया गया माना जाना चाहिए और इसे रद्द किया जा सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके बाद पारित बर्खास्तगी का आदेश भी अमान्य था।

इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हैं और राज्य सरकार के 5 अक्टूबर, 1963 के आदेश को रद्द करते हैं, जिसमें अपीलकर्ता की सेवानिवृत्ति के आदेश और 1 नवंबर, 1963 को उत्पाद शुल्क आयुक्त पारित बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया गया था।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हमें सूचित किया है कि अपीलकर्ता की इस अपील के लंबित रहने के दौरान 28 दिसंबर, 1984 को मृत्यु हो गई थी। इसलिए, हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि वह अपीलकर्ता के कानूनी प्रतिनिधि को 1 नवंबर, 1963 से उसकी मृत्यु की तारीख तक पेंशन की सभी बकाया राशि का भुगतान करे। राज्य सरकार अपीलकर्ता के कानूनी प्रतिनिधियों को इस अपील की लागत का भुगतान भी करेगी।

अपील स्वीकार की गई।

एसआर.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।